

## राजस्थान उच्च न्यायालय

### जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 4783/2020

सतीश चंद्र सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री बसंत लाल सोनी, आयु लगभग 60 वर्ष, जाति सोनी, निवासी शिव मार्ग रति तालिया, वर्तमान में निवासी गोकुल गेलेक्सी, सारदा नगर, बांसवाड़ा (राज)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम संयोजक, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
3. कार्यक्रम अधिकारी सह प्रखंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति बागिदोरा, जिला बांसवाड़ा (राज)।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी सह कलेक्टर, बांसवाड़ा।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : :कोई नहीं।

उत्तरदाता(गण) के लिए :

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

**18/01/2024**

1. यहां याचिकाकर्ता की शिकायत, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी और प्रासंगिक समय पर उसकी संविदात्मक सेवाएं दिनांक 04.06.2020 के एक आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई थीं, केवल इसलिए कि वह 60 वर्ष से अधिक का था, यह उसके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं करने का कानूनी आधार नहीं है, जैसा कि पहले समय-समय पर किया जाता था।
2. जब सुनवाई के लिए बुलाया गया तो याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं होने से याचिका 3 साल से अधिक समय से लंबित है।
3. किसी भी मामले में, आज की तारीख में याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 64-65 वर्ष होगी और केवल इसलिए कि उसकी सेवाएं अनुबंध पर थीं, वह एक नियमित पदधारी से आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना पड़ता है।
4. दूसरी ओर, एक संविदा कर्मचारी एक नियमित कर्मचारी की तुलना में बहुत कम स्तर पर खड़ा होता है और उसकी सेवा शर्तें अनुबंध के नियमों और शर्तों के चार कोनों के भीतर शासित होती हैं। किसी भी मामले में, अनुबंध सीमित अवधि के लिए था और नियोक्ता को अधिकार के रूप में इसे बढ़ाने के लिए मजबूर करके इसे शाश्वत नहीं माना जा सकता है।
5. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
6. निरस्त की जाती है।
7. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

**(अरुण मोंगा), न्यायाधीश**

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।